उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या – 18/2020

भोला माँझी वगै० बनाम इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

15/10/2020

–:: आदेश :: –

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1) भोला माँझी, पिता–स्व० हाजी माँझी, (2) दसाई माँझी उर्फ दशेम माँझी, पिता–स्व० हाजी माँझी, (3) रितबरन माँझी, पिता–स्व० विशेश्वर माँझी, (4) मुरली माँझी, पिता–विशेश्वर माँझी, (5) करमचंद माँझी, पिता–स्व० आशाराम माँझी, (6) फूलचंद माँझी, पिता–स्व० आशाराम माँझी, (7) मन्सु माँझी, पिता–स्व० शंकर माँझी एवं (8) सुखदेव माँझी, पिता–स्व० शम्भु माँझी सभी का निवास ग्राम–खाखरा टोला–फुलझरिया, पो०–मगनपुर, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा नीचे वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० के नाम से हस्तानांतरण/बिक्री की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से जांच प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त, अवलोकन किया गया। बिक्री अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकबा डिसमिल में)
खाखरा	गोला/59	58	287	02 डि०
			289	02 डि०
			290	26 डि०
			291	05 डि०
			292	23 डि०
			293	03 डि०
			294	04 डि०
कुल रकबा				65 डि० (पैंसठ डिसमिल)

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ का पत्रांक–1455/रा०, दिनांक–07.10.2020 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में सुकु माँझी वो भुखल माँझी पेशरान खेला माँझी वो खेपा माँझी वो रेवा माँझी पेशरान होपन माँझी के नाम से रैयती दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के भॉलुम–III के पृ०स०–11 में ठाकुर माँझी के नाम से कायम है। आवेदकगण आपसी मौखिक घरेलु बटवारा के आधार पर अपने हिस्से की भूमि (आवेदित भूमि) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० को सीटी गैस स्थापना हेतु बिक्री करना चाहते हैं। अनुमति हेतु आवेदित भूमि 65 डि० बिक्री के पश्चात आवेदकगण के पास 02.81 एकड़ भूमि शेष बचती है, जिससे आवेदकगण भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। बिक्री की अनुमति हेतु अपर समाहर्त्ता, रामगढ द्वारा अनुशंसा की गई है।

अतः अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अंचल अधिकारी, गोला / अंचल निरीक्षक, गोला तथा सम्बन्धित हल्का के राजस्व कर्मचारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आवेदकगण को निम्नांकित शर्तो पर नीचे वर्णित भूमि क्रेता के नाम से हस्तानांरित / बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है –

मौजा	थाना / थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा डिसमिल में)
खाखरा	गोला / 59	58	287	02 डि०
			289	02 डि०
			290	26 डि०
			291	05 डि०
			292	23 डि०
			293	03 डि०
			294	04 डि०
कुल रकबा				65 डि० (पैंसठ डिसमिल)

1.छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत यह अनुमति सीटी गैस स्थापना हेतु दी जाती है। क्रेता द्वारा उक्त भूमि का गैर परियोजना अथवा किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे होने पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

2.छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मुल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तानांतरण नही होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नही होगा।

3.सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू–लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तानांतरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

उक्त आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, गोला एवं अवर निबंधक, गोला को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/- 01/10/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

Sd/- 01/10/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।